

इन्दौर और उज्जैन, इन्दौर और देवास तथा उज्जैन और देवास के बीच सीधी टेलीफोन डायरिंग सेवा

2921. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इन्दौर और उज्जैन, इन्दौर और देवास तथा उज्जैन और देवास के बीच तत्काल एक सीधी टेलीफोन डायरिंग सेवा आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक आरम्भ कर दी जायगी; और

(ग) इस बारे में पूर्ण व्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) इन्दौर उज्जैन के बीच सीधी टेलीफोन डायरिंग सेवा पहले से ही कार्य कर रही है । इन्दौर-देवास और उज्जैन-देवास के बीच इस सेवा को उत्तरोत्तर चालू करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन्दौर एवं देवास के बीच सीधी डायरिंग सेवा 1882 में उपलब्ध कराये जाने की संभावना है जबकि देवास एवं उज्जैन के बीच यह सेवा 1983 के आरम्भ में प्रदान किए जाने की आशा है ;

(ग) इन्दौर-देवास के बीच सीधी डायरिंग सेवा पाइन्ट-टू पाइन्ट आधार

पर उपलब्ध कराई जायगी जबकि देवास-उज्जैन सीधी डायरिंग सेवा इन्दौर ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के जरिए उपलब्ध करायी जाएगी ।

Opening of Schools in Residential area of Delhi

2922. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA;

SHRI SUBHASH YADAV:

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that opening of schools in residential colonies and particularly newly developed colonies in Delhi is very profitable and people open such schools in their houses without taking any permission for the same from the authorities, employ unemployed educated persons for a paltry sum and charge high fees from the parents of students who do not want to send their children in authorised schools located at a distance; and

(b) what is the future of the students getting education in such schools and what is the policy of the Government in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b). It is a fact that there are unrecognised schools in Delhi. It is for the parents to decide whether they would like their children to be admitted in a recognised or an un-recognised school. Admissions in recognised Government and Municipal schools are available to every child. Children who study in un-recognised schools can also seek admission in a recognised school in any class upto class VIII in accordance with the provisions of the Delhi School Education Rules, 1973.

आदिवासी और लोककला के संरक्षण और विकास संबंधी सलाहकार समिति

2923. श्रीकुम्भा राम शर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्न-लिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासी और लोक-कला के संरक्षण और विकास संबंधी सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस समिति की पहली बैठक में की गई सिफारिशों पर की गई और की जान वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समिति की पिछली बैठक कब हुई थी और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सलाहकार समिति की संरचना इस प्रकार थी:—

- | | |
|--|---------|
| 1. शिक्षा मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी | सदस्य |
| 3. अध्यक्ष, ललित कला अकादमी | —वही— |
| 4. रजिस्ट्रार जनगणना आयोग | —वही— |
| 5. संयुक्त सचिव, जन-जातीय कल्याण, गृह मंत्रालय | —वही— |
| 6. अध्यक्ष, साहित्य अकादमी | —वही— |
| 7. अध्यक्ष, आदिवासी सेवा संघ | —वही— |
| 8. अध्यक्ष, हाथकरघा बोर्ड | —वही— |
| 9. अध्यक्ष खादी तथा ग्राम-उद्योग बोर्ड | —वही— |
| 10. सचिव, श्रम विभाग, भारत सरकार | —वही— |

- | | |
|---|------------|
| 11. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | —वही— |
| 12. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् | —वही— |
| 13. निदेशक भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता | —वही— |
| 14. निदेशक (योजना), समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार | —वही— |
| 15. श्री सुशील भट्टाचार्य, लेखक | —वही— |
| 16. प्रोफेसर संखो चौधरी, कलाकार | —वही— |
| 17. श्रीमती दुर्गा भागवत, लेखिका तथा मानव-विज्ञानी | —वही— |
| 18. श्री एच० शाह, निदेशक, जन जातीय संग्रहालय, अहमदाबाद | —वही— |
| 19. डा० बी० डी० शर्मा, जन-जातीय आयुक्त, भीपाल | —वही— |
| 20. संयुक्त शिक्षा सलाहकार (संस्कृति) | सदस्य सचिव |

(ख) और (ग) 21-11-1978 को इस समिति की केवल एक बैठक हुई थी और इसकी सिफारिशों पर नई दिल्ली में दिनांक 2 जुलाई, 1979 को हुई एक बैठक में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कला और संस्कृति के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की कि जन-जातीय कल्याण संगठनों और राज्य सरकारों के जन-जातीय विकास विभागों और उद्योगों को भारत में जन-जातीय समाज के सांस्कृतिक पहलुओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, स्कूल तथा